<u>**संभावित ग्राहकों की पहचान और पते के प्रमाण के सत्यापन हेतु मान्य दस्तावेजों की सूची**</u>

क्रमांक	ग्राहक का प्रकार	दस्तावेज
1)	**व्यक्ति – भारतीय निवासी** *(ग्राहक/ लाभकारी स्वामी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ किसी अन्य व्यक्ति/ संस्था के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में)*	(a) हाल ही का फोटोग्राफ; (b) स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रमाणित प्रति या उसके समान ई-दस्तावेज; (c) पहचान और पते के सत्यापन हेतु किसी एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) की प्रमाणित प्रति या उसके समान ई-दस्तावेज; और (d) ग्राहक के व्यवसाय के प्रकार और वित्तीय स्थिति सहित अन्य दस्तावेज या उसके समान ई-दस्तावेज, जैसा कि कंपनी द्वारा आवश्यक समझा जाए। **ओवीडी** का अर्थ निम्नलिखित होगा: (i) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी आधार संख्या के स्वामित्व (निर्धारित प्रारूप में) का प्रमाण (ii) <u>पासपोर्ट</u> (iii) <u>ड्राइविंग लाइसेंस</u> (iv) <u>भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र</u> (v) <u>राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड</u> (vi) <u>राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र,</u> जिसमें नाम और पते का विवरण हो। ***"बशर्ते कि अगर ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में अपडेट पता नहीं है,*** *तो पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य हेतु निम्नलिखित दस्तावेज ओवीडी माने जाएंगे:* *(i) किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप्ड गैस, पानी का बिल) का यूटिलिटी बिल, जो दो माह से अधिक पुराना न हो;* *(ii) संपत्ति या नगर पालिका कर रसीद;* *(iii) सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), अगर उनमें पता अंकित हो;* *(iv) राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र और ऐसे नियोक्ताओं द्वारा आधिकारिक आवास आवंटित करने संबंधी अवकाश एवं लाइसेंस समझौते।*

		बशर्ते, ग्राहक उपरोक्त वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह के भीतर वर्तमान पते सहित ओवीडी प्रस्तुत करेगा। *<u>स्पष्टीकरण:</u> इस प्रावधान के उद्देश्य से, अगर किसी दस्तावेज के जारी होने के बाद नाम में परिवर्तन हुआ है, तो भी उसे ओवीडी माना जाएगा, बशर्ते कि वह राज्य सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र या राजपत्र अधिसूचना द्वारा समर्थित हो, जिसमें नाम परिवर्तन का उल्लेख हो।*
2)	**व्यक्ति – अनिवासी भारतीय (एनआरआई)/ भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)**	(a) हाल ही का फोटोग्राफ; (b) स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रमाणित प्रति या उसके समान ई-दस्तावेज; (c) भारतीय पासपोर्ट धारक के मामले में – वैध भारतीय पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति के साथ वैध रोजगार/ निवास/ छात्र/ आश्रित वीजा की प्रति या कार्य/ निवास परमिट की प्रति; (d) विदेशी पासपोर्ट धारक के मामले में वैध विदेशी पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति के साथ ओसीआई (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड / पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) कार्ड; (e) अगर अतिरिक्त रूप से आवश्यक हो, तो पते के सत्यापन हेतु किसी एक ओवीडी की प्रमाणित प्रति या उसके समान ई-दस्तावेज; (f) पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के लिए वैध केवाईसी, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद में दर्ज है; और (g) ग्राहक के व्यवसाय के प्रकार और वित्तीय स्थिति सहित अन्य दस्तावेज या उसके समान ई-दस्तावेज, जैसा कि कंपनी द्वारा आवश्यक समझा जाए। अतिरिक्त रूप से, ओवीडी की मूल प्रमाणित प्रति, निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा प्रमाणित, प्राप्त की जा सकती है: (i) भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी; (ii) वे विदेशी बैंकों की शाखाएं जिनके साथ कंपनी के संबंध हो सकते हैं; (iii) विदेश स्थित नोटरी पब्लिक; (iv) न्यायालय के मजिस्ट्रेट; (v) न्यायाधीश; (vi) उस देश में स्थित भारतीय दूतावास/ वाणिज्य दूतावास जहां अनिवासी ग्राहक निवास करता है। **नोट:** जहां किसी विदेशी नागरिक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में पते का विवरण नहीं है, ऐसे मामलों में विदेशी न्यायक्षेत्रों के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज और भारत में स्थित विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र को पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

3)	**एकल स्वामित्व फर्म**	व्यक्तिगत रूप से स्वामी के लिए ओवीडी, पैन और फोटोग्राफ के अतिरिक्त, स्वामित्व फर्म के नाम पर व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज या उनके समान ई-दस्तावेज भी प्राप्त किया जाएगा: (a) सरकार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र, जिसमें उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) शामिल है; (b) नगर निगम प्राधिकरण द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत जारी प्रमाणपत्र/लाइसेंस; (c) जीएसटी और आयकर रिटर्न; (d) जहां लागू हो, सीएसटी/वीएटी/जीएसटी प्रमाणपत्र या बिक्री कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकरण/ जीएसटी प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज; (e) डीजीएफटी कार्यालय द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान को जारी आईईसी (आयात निर्यात कोड)/ किसी विधि द्वारा स्थापित पेशेवर निकाय द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम पर जारी लाइसेंस/प्रैक्टिस प्रमाणपत्र; (f) किसी विधि द्वारा स्थापित पेशेवर निकाय द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम पर जारी लाइसेंस/प्रैक्टिस प्रमाणपत्र; (g) एकल स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (केवल प्राप्ति रसीद नहीं), जिसमें फर्म की आय दर्ज हो, और जो आयकर प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित/स्वीकृत हो; (h) यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, पानी, लैंडलाइन टेलीफोन बिल आदि (दो माह से अधिक पुराने नहीं)। ➢ ***नोट:*** *ऐसे मामलों में जहां कंपनी संतुष्ट हो कि उपरोक्त अनुसार दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है, वह व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में केवल एक दस्तावेज स्वीकार कर सकती है, बशर्ते संपर्क बिंदु सत्यापन किया जाए और फर्म के अस्तित्व की पुष्टि हेतु आवश्यक अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाएं। इसके अतिरिक्त, कंपनी को यह संतुष्ट होना चाहिए कि स्वामित्व प्रतिष्ठान के पते से व्यवसायिक गतिविधि का सत्यापन किया गया है।*
4)	**कंपनी**	आवेदक कंपनी की ओर से लेनदेन करने के लिए अधिकृत निदेशक/प्रबंधक/कर्मचारी (व्यक्ति के रूप में) के ओवीडी, पैन और फोटोग्राफ के अतिरिक्त; निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके समान ई-दस्तावेज: (a) निगमन प्रमाणपत्र; (b) मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन; (c) कंपनी का स्थायी खाता संख्या (पैन); और (d) निदेशक मंडल का प्रस्ताव और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को उसकी ओर से लेनदेन करने हेतु प्रदत्त पावर ऑफ अटॉर्नी।

		(e) वरिष्ठ प्रबंधन पद धारण करने वाले संबंधित व्यक्तियों के नाम; और (f) पंजीकृत कार्यालय और मुख्य व्यवसाय स्थल का पता, अगर अलग हो।
5)	**साझेदारी फर्म**	आवेदक फर्म की ओर से लेनदेन करने के लिए अधिकृत भागीदार/प्रबंधक/कर्मचारी (व्यक्ति के रूप में) के ओवीडी, पैन और फोटोग्राफ के अतिरिक्त; निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके समान ई-दस्तावेज: (a) संस्था की ओर से कार्य करने के अधिकार को दर्शाने वाला दस्तावेज; (b) पंजीकरण प्रमाणपत्र, अगर पंजीकृत हो; (c) साझेदारी विलेख; और (d) साझेदारी फर्म का स्थायी खाता संख्या (पैन)। (e) सभी भागीदारों के नाम; और (f) पंजीकृत कार्यालय और मुख्य व्यवसाय स्थल का पता, अगर अलग हो।
6)	**ट्रस्ट**	ट्रस्ट की ओर से लेनदेन करने के लिए अधिकृत ट्रस्टी/लाभार्थी/पावर ऑफ अटॉर्नी धारक (व्यक्ति के रूप में) के ओवीडी, पैन और फोटोग्राफ के अतिरिक्त; निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके समान ई-दस्तावेज: (a) ट्रस्ट की ओर से कार्य करने के अधिकार को दर्शाने वाला दस्तावेज; (b) पंजीकरण प्रमाणपत्र, अगर पंजीकृत हो; (c) ट्रस्ट विलेख; और (d) ट्रस्ट का स्थायी खाता संख्या (पैन) या फॉर्म संख्या 60। (e) लाभार्थियों, ट्रस्टियों, संस्थापक, संरक्षक, अगर कोई हो, और ट्रस्ट के निर्माणकर्ताओं के नाम; (f) ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय का पता; और (g) पैरा 23 में निर्दिष्ट अनुसार ट्रस्टी की भूमिका निभाने वाले और ट्रस्ट की ओर से लेनदेन करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों की सूची और दस्तावेज।
7)	**असंबद्ध संघ या व्यक्तियों का निकाय**	संस्था की ओर से लेनदेन करने के लिए अधिकृत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक (व्यक्ति के रूप में) के ओवीडी, पैन और फोटोग्राफ के अतिरिक्त; निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके समान ई-दस्तावेज: (a) ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का निर्णय; (b) उसकी ओर से लेनदेन करने हेतु प्रदत्त पावर ऑफ अटॉर्नी; (c) असंबद्ध संघ या व्यक्तियों के समूह का स्थायी खाता संख्या (पैन) या फॉर्म संख्या 60; और (d) ऐसी संस्था या समूह के विधिक अस्तित्व की सामूहिक रूप से स्थापना हेतु कंपनी द्वारा आवश्यक अन्य जानकारी।

8)	**अन्य संस्थाएं, जो ऊपर विशेष रूप से शामिल नहीं हैं, जैसे सोसायटी, विश्वविद्यालय और स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायतें**	संस्था की ओर से लेनदेन करने के लिए अधिकृत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक (व्यक्ति के रूप में) के ओवीडी, पैन और फोटोग्राफ के अतिरिक्त; निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके समान ई-दस्तावेज: (a) संस्था की ओर से कार्य करने के अधिकार को दर्शाने वाला दस्तावेज; और (b) ऐसी संस्था/न्यायिक व्यक्ति के विधिक अस्तित्व की स्थापना हेतु कंपनी द्वारा आवश्यक दस्तावेज।

---XXX---